

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ 18(5) एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक: 07.08.98 के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित प्राध्यापक भौतिक विज्ञान (स्कूल शिक्षा) को 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने कॉलम संख्या-04 में अंकित तिथि से स्केल नं. 12 (ए) (7500-12000) में वरिष्ठ वेतनमान एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

| क्र. सं. | नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि) | चयन का प्रकार | वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि |
|----------|--|---------------|-------------------------|
| 1. | वीरपाल सिंह चौहान, भगवतगढ़ (सवाई माधोपुर) | डीपीसी | 31.03.1999 |

संबंधित संस्था प्रधान उक्त प्राध्यापक को देय वरिष्ठ वेतनमान में वेतन निर्धारण नियमानुसार अपने स्तर पर कर सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज करें ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 29-8-19

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/ववेमा/वो-11/2009
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय)
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


:: कार्यालय आदेश ::

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) जो उनके नाम के सामने विभिन्न कारणों से एपीओ होने के पश्चात् निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में उनके नाम के सामने अंकित अवधि में पदस्थापन की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे थे की एपीओ अवधि का उपशासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.7(6)शिक्षा-2/2018 जयपुर, दिनांक: 18.05.2018 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

अतः निम्नांकित व्याख्याताओं (स्कूल शिक्षा) का उनके नाम के सामने अंकित विद्यालयों से एपीओ अवधि का वेतन आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र. सं. | नाम कार्मिक | विषय | एपीओ अवधि | पदस्थापन स्थान (राउमावि) | विद्यालय जहाँ से वेतन आहरित करना है (राउमावि) |
|----------|----------------------|-------|----------------------------------|--|---|
| 1. | भूपेन्द्र सिंह सलूजा | भौतिक | 05.04.16 से 17.05.16 (43 दिन) | बरसिंहसर (बीकानेर) | ऊपनी (श्रीदुर्गरगढ़) बीकानेर से व्या. भौतिक के रिक्त पद विरुद्ध |
| 2. | पुरुषोत्तम | गणित | 31.07.17 से 11.09.17 (43 दिन) | बिदरखां (लालसोट) दौसा | कालाखो (अम्बाडी) दौसा से व्या. जीव विज्ञान के रिक्त पद विरुद्ध |
| 3. | पूनम देवी | भौतिक | 07.04.17 से 17.05.17 (41 दिन) | सादे की जोहड़ी (सूरतगढ़) श्रीगंगानगर | बा. बींझबायला (श्रीगंगानगर) से व्या. इति के रिक्त पद विरुद्ध |


उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 29.03.2018

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/वेतन-व्यवस्था/2015
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सचूनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा ।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय)
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर